भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं - 2324
दिनांक **16.03.2022** को उत्तर देने के लिए

केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी

2324. श्री थिरुनावुक्करसर सु:

क्या ***प्रधानमंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केंद्र सरकार की पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त व्यक्तियों की राज्यवार अनुमानित संख्या;

(ख) क्या प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए डाकियों के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा करने के लिए सरकार के पास डाक विभाग की डोरस्टेप सेवाओं का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

<u>उत्तर</u>

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(सीपीएओ), रक्षा लेखा महानियंत्रक, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग द्वारा बनाए गए डेटाबेस के अनुसार, केंद्रीय सरकार की पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या अनुबंध- । पर दी गई है।

(ख) से (घ) देश भर के सभी पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सेवाएं उपलब्ध कराने और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए डाक विभाग के तहत इंडिया पोस्ट एंड पेमेंट्स बैंक(आईपीपीबी) को शामिल किया है। आईपीपीबी ने अपने डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से नवंबर, 2020 में जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की डोरस्टेप सेवा शुरू की है।

******

अनुबंध: I

दिनांक 31/03/2021 तक केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

क्रम सं	**पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी**	**कुटुंब पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों की संख्या**
क.	लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय के लेखा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी मंत्रालयों/विभागों के पेंशनभोगी(कुटुंब पेंशनभोगी सहित)। (केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय पेंशनभोगियों के डेटा के रखरखाव और पेंशन/कुटुंब पेंशन के संदाय पर व्यय करने के लिए उत्तरदायी है। सभी सीएपीएफ अर्थात एमएचए के तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के सहित सिविल मंत्रालय)	11,06,000 (3,50,000)
ख.	रक्षा पेंशनभोगी (कुटुंब पेंशनभोगी सहित) (इन पेंशनभोगियों के आंकड़ो और खातों आदि का रखरखाव रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।	34,10,567 (9,36,192)
ग.	रेलवे पेंशनभोगी (कुटुंब पेंशनभोगी सहित) (इन पेंशनभोगियों के आंकड़ों और खातों आदि का रखरखाव रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।)	15,54,585 (6,59,483)
घ.	दूरसंचार पेंशनभोगी (कुटुंब पेंशनभोगी सहित) (इन पेंशनभोगियों के आंकड़ों और खातों आदि का रखरखाव दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाता है।)	4,67,751 (1,16,000)
ङ.	डाक पेंशनभोगी (कुटुंब पेंशनभोगी सहित) (इन पेंशनभोगियों के आंकड़ों और खातों आदि का रखरखाव डाक विभाग द्वारा किया जाता है।)	3,23,562 (99,133)
	कुल पेंशनभोगी(कुटुंब पेंशनभोगियों सहित)	68,62,465
	केवल कुटुंब पेंशनभोगी	21,60,808

* सीपीएओ, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और डाक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार